भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3319
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

बिना प्रतिभूति जमानत के उपाय

3319. श्री राजकुमार रोत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में न्यायिक आदेशों के तहत वर्तमान में जेलों में बंद व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, और राज्य-वार और श्रेणी-वार तथा राजस्थान के संबंध में जिला-वार और श्रेणी-वार इससे संबंधित ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में उक्त मामलों की संख्या कितनी है जहाँ व्यक्ति जमानत मिलने के बावजूद केवल प्रतिभूति जमा न कर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, जिसका राज्य-वार तथा राजस्थान के संबंध में जिला-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो जमानत मिलने के बावजूद प्रतिभूति जमा न करने के कारण जेलों में बंद हैं, जिनका राज्य-वार और नाम-वार ब्यौरा तथा उन अपराधों की प्रकृति क्या है जिनके लिए वे हिरासत में हैं ;

(घ) क्या सरकार इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन गरीबों को, जो जमानत मिलने के बाद प्रतिभूति जमा करने में असमर्थ हैं, प्रतिभूति मुक्त जमानत देने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : देश भर की जेलों में करवासित व्यक्तियों की संख्या के संबंध में, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम 31.12.2024तक) के राज्यवार/श्रेणीवार आंकड़े, जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है, **उपाबंध-क** में दिए गए हैं।

एनसीआरबी द्वारा जिलावार आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30.06.2026 तक जमानत न देने के कारण जेलों में करवासित व्यक्तियों (विचाराधीन कैदियों) का राज्यवार ब्यौरे, जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है, **उपाबंध-ख** में दिए गए हैं। जिलावार और श्रेणीवार विवरण एनएएलएसए द्वारा अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कोई पृथक जानकारी एनएएलएसए द्वारा या एनसीआरबी द्वारा अनुरक्षित नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) : 'कारागार और कैदी' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि **4** के अधीन राज्य-सूची का विषय है । अतः, कारागारों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। केंद्रीय सरकार द्वारा जमानत सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए कई पहल की गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा **479 (1)** यह उपबंध करता है कि "जहाँ कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड या आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा" इसके अतिरिक्त, अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के अधीन ई-जेल पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित अलर्ट उत्पन्न किए जाते हैं और विचाराधीन कैदियों की समय पर रिहाई के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजे जाते हैं।

सरकार उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, जो अधिरोपित जुर्माना का संदाय करने में असमर्थ हैं या आर्थिक तंगी के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थ हैं, "गरीब कैदियों को सहायता" नामक एक स्कीम लागू कर रही है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 1 लाख रुपये तक की जमानत सहायता का उपबंध करते हैं, साथ ही मामलों की कार्यवाही के लिए समयसीमा विहित की गई है और धन की निकासी और उपयोग की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने सभी जिलों में विचाराधीन कैदियों और दोषियों की रिहाई की सिफारिश करने के लिए विचाराधीन समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) की स्थापना की पहल की है। यूटीआरसी द्वारा देश भर में त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

उपाबंध-क

'प्रतिभूति के बिना ज़मानत के लिए उपाय' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3319 जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

31.12.2024 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार जेल के कैदियों के प्रकार

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दोषसिद्ध	विचाराधीन कैदियों	बंदी	अन्य	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2,131	5,705	10	15	7,861
2	अरुणाचल प्रदेश	226	242	0	0	468
3	असम	3,500	8,144	13	17	11,674
4	बिहार	6,648	45,339	0	3	51,990
5	छत्तीसगढ	6,313	12,478	5	2	18,798
6	गोवा	95	519	1	0	615
7	गुजरात	5,231	12,286	249	0	17,766
8	हरियाणा	5,693	19,015	48	0	24,756
9	हिमाचल प्रदेश	1,042	1,942	0	0	2984
10	झारखंड	4,943	11,232	26	0	16,201
11	कर्नाटक	3,491	10,908	24	27	14,450
12	केरल	3,944	6,148	215	0	10,307
13	मध्य प्रदेश	21,760	23,132	92	108	45,092
14	महाराष्ट्र	7,066	31,523	414	0	39,003
15	मणिपुर	121	326	3	0	450
16	मेघालय	464	918	0	24	1,406
17	मिजोरम	639	917	0	0	1,556
18	नागालैंड	125	363	26	0	514
19	ओडिशा	3,736	12,879	1	1	16,617
20	पंजाब	6,695	23,922	2	44	30,663
21	**राजस्थान**	**6,086**	**18,176**	**7**	**41**	**24,310**
22	सिक्किम	151	151	0	0	302
23	तमिलनाडु	6,007	13,274	1,117	2	20,400
24	तेलंगाना	1,767	5,002	13	0	6,782
25	त्रिपुरा	489	1,261	8	3	1,761
26	उत्तर प्रदेश	27,474	59,194	94	0	86,762
27	उत्तराखंड	2,292	3,256	0	0	5,548
28	पश्चिमी बंगाल #	4,941	20,294	1	538	25,774
29	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	227	168	0	0	395
30	चंडीगढ़	329	610	0	0	939
31	दादरा नागर हवेली और दमण दीव	3	111	0	0	114
32	दिल्ली	2,232	17,178	12	90	19,512
33	जम्मू और कश्मीर	170	4,552	660	1	5,383
34	लद्दाख	3	41	7	0	51
35	लक्षद्वीप	0	5	0	0	5
36	पुदुचेरी	104	229	0	0	333
	कुल (अखिल भारतीय)	**1,36,138**	**3,71,440**	**3,048**	**916**	**5,11,542**

· राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार।

पश्चिमी बंगाल से 2024 का डेटा न मिलने के कारण, 2023 का दिया गया डेटा इस्तेमाल किया गया है।

उपाबंध-ख

'प्रतिभूति के बिना ज़मानत के लिए उपाय' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3319 जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

जनवरी, 2026 से जून, 2026 की अवधि के दौरान न्यायालय से ज़मानत मिलने वाले विचाराधीन कैदियों की राज्य-वार संख्या, जो प्रतिभूति देने मे असमर्थ रहे हैं ।

क्र . सं .	**राज्य**	**सिफारिश किए गए कैदियों की कुल संख्या**	**रिहा किए गए कैदियों की कुल संख्या**
1	अंदमान और निकोबार	0	0
2	आंध्र प्रदेश	91	58
3	अरुणाचल प्रदेश	27	6
4	असम	477	299
5	बिहार	18	15
6	चंडीगढ़	14	9
7	छतीसगढ	38	35
8	दादरा और नागर हवेली	0	0
	दमण और दीव	0	0
9	दिल्ली	186	117
10	गोवा	34	7
11	गुजरात	518	452
12	हरियाणा	95	86
13	हिमाचल प्रदेश	21	19
14	जम्मू और कश्मीर	52	24
15	झारखंड	118	107
16	कर्नाटक	93	47
17	केरल	234	109
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	104	90
21	महाराष्ट्र	1,082	567
22	मणिपुर	73	13
23	मेघालय	73	23
24	मिजोरम	16	1
25	नागालैंड	15	0
26	ओडिशा	376	171
27	पुदुचेरी	9	9
28	पंजाब	774	564
29	**राजस्थान**	**196**	**140**
30	सिक्किम	7	5
31	तमिलनाडु	555	262
32	तेलंगाना	311	104
33	त्रिपुरा	36	16
34	उत्तर प्रदेश	819	777
35	उत्तराखंड	30	28
36	पश्चिमी बंगाल	158	119
कुल		**6,650**	**4,279**
